International Journal of Commerce, Economics and Management Research (IJCEMR)
(An International Peer-Reviewed (Refereed) Journal)
Volume no. 1, Issue no 1, Page No. 104-109

वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक द्वारा संचालित किसान क्रेडिट कार्ड योजना का तुलनात्मक अध्ययन

Dr. Dilip Kumar Parsendiya[1, *]

[1] *Department of Commerce*

Govt. Adarsh PG College Jhabua, Madhtya Pradesh, India

**Corresponding author: dilip4787@gmail.com*

Received: 19 April 2026, Revised: 18 May 2026, Accepted: 10 June 2026, Available Online: 15 June, 2026

सारांश :

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) को अब कृषि के लिए अल्पकालिक ऋण का एकमात्र माध्यम माना जाने लगा है। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का प्रारंभ वर्ष 1998–99 में गया था। तभी से इस योजना को देश में सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों द्वारा लागू किया गया है। यह किसानों की कृषि उत्पादन ऋण आवश्यकताओं को समय पर और आसान तरीके से पूरा करने के लिए एक अभिनव ऋण वितरण प्रणाली के रूप में उभरा है। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं ने भारत के ग्रामीण ऋण के परिदृश्य को बदल दिया। इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने में यह अध्ययन काफी महत्वपूर्ण होगा। इस योजना द्वारा बैंकों द्वारा अग्रिम ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे किसानों को समय पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित हो पायी है। फसल ऋण की समय पर उपलब्धता से किसानों को अधिक लाभ प्राप्त करने में मदद मिली है और कृषि कार्यों के संचालन में लचीलापन आया है, जिस कारण बेहतर ढण्ग से ऋण का पुनर्भुगतान भी हो रहा है।

शब्द कुंजी : किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), किसान, कृषि, वित्त, बैंक, ऋण, ।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना परिचय :

भारत की दो तीहाई आबादी गाँवों में निवास करती है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इसलिए वित्तीय ढांचे में ग्रामीण लोगों को शामिल करने की आवश्यकता हुई। ग्रामीण किसानों की विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण ऋण प्रणाली के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना बहुत लोकप्रिय है। पिछले कुछ वर्षों में, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने किसानों को पर्याप्त ऋण समय पर प्रदान करने की पहल की है, जिससे ग्रामीण वित्त प्रणाली अधिक सरल बन गई है। कृषि अर्थव्यवस्था के रूप में भारत दो कारकों पर निर्भर है, एक है मानसून (भारतीय वर्षा ऋतु) और दूसरा है ऋण। चूंकि मानसून को नियंत्रित करना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन हमारी ऋण वितरण प्रणाली में सुधार के प्रयास किए जा सकते हैं। कृषि के लिए वित्तपोषण हमेशा से बैंकों के लिए एक बड़ा काम रहा है। वित्तीय सुधारों ने किसानों की सुविधा के लिए संस्थागत एजेंसियों से नवीन ऋण हस्तक्षेप की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है। खाद्य सुरक्षा जैसे विधेयकों के कार्यान्वयन से यह संकेत मिलता है कि कृषि भारत के सामाजिक–आर्थिक विकास की सभी रणनीतियों के केंद्र में बनी रहेगी। कृषि की तीव्र वृद्धि न केवल निरंतर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगी बल्कि उद्योग और सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) वृद्धि में भी मदद करेगी।

किसानों को कृषि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि कृषि इनपुट को खरीदने में सक्षम बनाने के लिए वर्ष 1998–99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरूआत की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना पूरे देश में वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी समितियों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। सावधि ऋण और उपभोग आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए केसीसी का दायरा व्यापक कर दिया गया है। छोटे किसानों, सीमांत किसानों, बंटाईदारों, मौखिक पट्टेदार और किरायेदार किसानों सहित सभी किसान इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र है और कार्ड धारक किसानों को आकस्मिक मृत्यु/स्थायी विकलांगता के विरूद्ध व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (पीएआईएस) के तहत कवर प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही भारत सरकार ने हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड योजना में स्मार्ट कार्ड सह डेबिट कार्ड प्रदान किए जा रहे है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य :

- किसान क्रेडिट कार्ड योजना की कार्य प्रणाली का अध्ययन करना।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना की भूमिका एवं योगदान का आंकलन करना।
- वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक द्वारा संचालित किसान क्रेडिट कार्ड योजना का तुलनात्मक अध्ययन

शोध–पद्धति :

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध–पद्धति पर आधारित है। शोध के लिए द्वितीयक स्रोतों जैसे पुस्तकों, शोध–पत्रों, सरकारी रिपोर्टों, वित्तीय संगठनों के दस्तावेजों से संबंधित प्रकाशित सामग्री का उपयोग किया गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रमुख उद्देश्य :

- किसानों को पर्याप्त एवं समय पर ऋण उपलब्ध करवाना।
- कम कागजी काम और दस्तावेज़ीकरण का सरलीकरण करना।
- किसी भी समय नकदी निकालने और किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार इनपुट खरीदने और अधिशेष निधि उपलब्ध होने पर भुगतान करने की सुविधा।
- किसान पर ब्याज का बोझ कम करने के लिए किसी भी समय ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।
- वार्षिक समीक्षा और संतोषजनक संचालन और वृद्धि के प्रावधान के अधीन 3 वर्षों के लिए सुविधा की मंजूरी।
- बहुत कम प्रीमियम दर पर बैंक ऋण, बीमा कवर (एनएआईएस/पीएआईएस) प्राप्त करने के लिए ऋण की लागत में कमी करना।
- केसीसी योजना के तहत बार–बार मूल्यांकन और ऋण पत्रों के प्रसंस्करण से बचकर शाखा कर्मचारियों के लिए काम का बोझ कम करना।
- धन के पुनर्चक्रण में सुधार और ऋणों की बेहतर वसूली।
- बैंकों के लिए लेनदेन लागत कम करना।
- बैंकर–ग्राहक संबंधों में सुधार करना।

कृषि ऋण नीति :

भारत सरकार ने किसानों की ऋण के संस्थागत स्रोतों तक पहुंच में सुधार के लिए अनेक नीतिगत उपाय प्रस्तुत किए हैं। इन नीतियों के माध्यम से सभी प्रकार के किसानों को समय पर और पर्याप्त ऋण सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों और समाज के कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ताकि वे कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक और बेहतर कृषि पद्धतियों को अपनाने में सक्षम हो सकें। किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना क्षेत्र–विशिष्ट रणनीतियों को अपनाने और ऋण प्रदान करने की नीतियों एवं प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने के माध्यम से जमीनी स्तर पर ऋण प्रवाह को बढ़ाने पर जोर देती है।

तालिका 01

भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निर्गमित कार्ड की एजेंसी–वार प्रगति

(कार्ड की संख्या लाख में)

वर्ष	वाणिज्यिक बैंक	आनुपातिक प्रतिशत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	आनुपातिक प्रतिशत	सहकारी बैंक	आनुपातिक प्रतिशत	योग
1998-99	6.22	79.34	0.06	0.77	1.55	19.77	7.84
1999-00	13.66	26.61	1.73	3.37	35.95	70.02	51.34
2000-01	23.90	27.62	6.48	7.49	56.14	64.89	86.52
2001-02	30.71	32.88	8.34	8.93	54.34	58.20	93.41
2002-03	27	32.76	9.64	11.69	45.79	55.55	82.43
2003-04	30.94	33.46	12.73	13.77	48.78	52.75	92.47
2004-05	43.96	45.41	17.29	17.86	35.56	36.74	96.80
2005-06	41.65	51.98	12.49	15.59	25.98	32.43	80.12
2006-07	48.08	56.49	14.09	16.56	22.98	27	85.11
2007-08	46.06	54.38	17.73	20.93	20.91	24.69	84.70
2008-09	58.34	67.90	14.14	16.46	13.44	15.64	85.92
2009-10	53.13	59	19.49	21.64	17.43	19.36	90.05
2010-11	55.83	54.90	17.74	17.45	28.12	27.65	101.69
2011-12	68.04	57.86	19.95	16.96	29.61	25.18	117.60
2012-13	82.43	63.50	20.48	15.78	26.91	20.73	129.82
2013-14	80.51	61.60	21.52	16.45	28.66	21.93	130.69
2014-15	82.96	64.19	18.69	14.46	27.59	21.35	129.24
2015-16	84.65	61.18	22.85	16.51	30.86	22.30	138.36
2016-17	90.25	61.78	23.60	16.15	32.24	22.07	146.09
2017-18	92.52	62.53	25.59	17.30	29.84	20.17	147.95
2018-19	90.74	62.89	22.25	15.42	31.29	21.69	144.28
2019-20	93.61	63.28	23.87	16.13	30.46	20.59	147.94

2020-21	75.87	71.09	14.35	13.45	16.51	15.47	106.73
2021-22	80.42	70.16	15.88	13.85	18.33	15.99	114.63
2022-23	98.36	72.31	17.48	12.85	20.18	14.84	136.02
MEAN	**59.99**	**-**	**15.94**	**-**	**29.18**	**-**	**105.11**

Source: RBI (various issues)

समीक्षा :

तालिका क्र. 01 में भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निर्गमित कार्ड की एजेंसी–वार प्रगति (संख्या लाख में) दर्शायी गई है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत वर्ष 1998–99 से वर्ष 2022–23 तक सबसे अधिक किसान क्रेडिट कार्ड निर्गमित किए गए है, जिसका प्रत्येक वर्ष औसत निर्गमन कार्डों की संख्या 59.99 लाख है। वर्ष 2022–23 में सर्वाधिक 98.36 लाख कार्ड निर्गमित किए गए। जो सभी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए कुल कार्ड का 72.31 प्रतिशत है। सहकारी बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत वर्ष 1998–99 से वर्ष 2022–23 तक प्रत्येक वर्ष औसत निर्गमन कार्ड की संख्या 29.18 लाख है। वर्ष 2018–19 में सर्वाधिक 31.29 लाख कार्ड निर्गमित किए गए। जो सभी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए कुल कार्ड का 21.69 प्रतिशत है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत वर्ष 1998–99 से वर्ष 2022–23 तक प्रत्येक वर्ष औसत निर्गमन कार्ड की संख्या 15.94 लाख है। वर्ष 2017–18 में सर्वाधिक 25.59 लाख कार्ड निर्गमित किए गए। जो सभी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए कुल कार्ड का 17.30 प्रतिशत है।

तालिका 02
भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि की एजेंसी–वार प्रगति

(राशि करोड़ रू में)

वर्ष	वाणिज्यिक बैंक	आनुपातिक प्रतिशत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	आनुपातिक प्रतिशत	सहकारी बैंक	आनुपातिक प्रतिशत	योग
1998-99	1473	63.77	11	0.48	826	35.76	2310
1999-00	3537	46.86	405	5.37	3306	47.77	7548
2000-01	5615	34.18	1400	8.52	9412	57.30	16427
2001-02	7524	29.10	2382	9.21	15952	61.69	25858
2002-03	7481	28.47	2955	11.25	15841	60.28	26277
2003-04	9331	42.83	2599	11.93	9855	45.24	21785
2004-05	14756	43.16	3833	11.21	15597	45.62	34186
2005-06	18779	39.45	8483	17.82	20339	42.78	47601
2006-07	26215	56.10	7373	15.78	13141	28.12	46729
2007-08	20421	40.85	9074	18.15	20492	40.99	49987
2008-09	25865	55.42	7632	16.35	13172	28.22	46669
2009-10	39940	69.25	10132	17.57	7606	13.19	57678
2010-11	50438	69.45	11468	15.79	10719	14.76	72625
2011-12	69510	75.82	11520	12.57	10640	11.61	91680
2012-13	101090	80.05	13260	10.50	11920	9.44	126270
2013-14	105619	78.36	14523	10.77	14653	10.87	134795
2014-15	103840	73.34	17582	12.41	20154	14.26	141576
2015-16	106528	72.66	20542	14.01	19541	13.47	146611
2016-17	110410	73.36	18580	12.34	21520	14.29	150510

2017-18	108965	71.83	20567	13.55	22154	14.60	151686
2018-19	112548	69.83	22864	14.18	25750	15.97	161162
2019-20	110285	71.43	21589	13.98	22530	14.59	154404
2020-21	85642	76.63	13570	12.14	12545	11.22	111757
2021-22	92631	74.85	16594	13.40	14528	11.73	123753
2022-23	109870	72.85	21357	14.16	19580	12.98	150807
MEAN	**57932.52**	**-**	**11211.8**	**-**	**14870.96**	**-**	**84027.64**

Source: RBI (various issues)

समीक्षा :

तालिका क्र. 02 में भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि की एजेंसी–वार प्रगति (राशि करोड़ रू में) दर्शायी गई है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत वर्ष 1998–99 से वर्ष 2022–23 तक सबसे अधिक राशि स्वीकृत की गई है, जिसकी प्रत्येक वर्ष औसत राशि 57932.52 करोड़ रू. है। वर्ष 2018–19 में सर्वाधिक राशि 1,12,548 करोड़ रू. स्वीकृत की गई थी, जो सभी संस्थाओं द्वारा जारी की गई कुल राशि का 69.83 प्रतिशत है। सहकारी बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत वर्ष 1998–99 से वर्ष 2022–23 तक प्रत्येक वर्ष औसत रूप में 14870.96 करोड रू. स्वीकृत किए गए है। वर्ष 2018–19 में सर्वाधिक राशि 25,750 करोड़ रू. स्वीकृत की गई थी। जो सभी संस्थाओं द्वारा जारी की गई कुल राशि का 15.97 प्रतिशत है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत वर्ष 1998–99 से वर्ष 2022–23 तक प्रत्येक वर्ष औसत रूप में 11,211.8 करोड रू. स्वीकृत किए गए है। वर्ष 2019–20 में सर्वाधिक राशि 21,589 करोड़ रू. स्वीकृत की गई थी। जो सभी संस्थाओं द्वारा जारी की गई कुल राशि का 13.98 प्रतिशत है।

के.सी.सी. योजना में ऋण राशि का निर्धारण :

किसान क्रेडिट कार्ड के तहत क्रेडिट सीमा सीमांत किसानों के अलावा सभी किसानों के लिए प्रथम वर्ष के लिए अल्पावधि सीमा तय की जाएगी। एक वर्ष में एकल फसल उगाने वाले किसानों के लिए फसल के लिए वित्त का पैमाना (जैसा कि जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा तय किया गया है), खेती की गई क्षेत्रफल की सीमा + फसल कटाई के बाद की सीमा का 10 प्रतिशत/घरेलू/खपत आवश्यकताएं + कृषि संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव व्यय की सीमा का 20 प्रतिशत + फसल बीमा, पीएआईएस और संपत्ति बीमा। द्वितीय और बाद के वर्षों के लिए फसल की खेती के उद्देश्य के लिए प्रथम वर्ष की सीमा ऊपर के रूप में और प्रत्येक क्रमिक वर्ष (दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष) और अनुमानित अवधि के लिए लागत वृद्धि/वित्त के पैमाने में वृद्धि की सीमा का 10 प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड की अवधि के लिए ऋण घटक, अर्थात पांच वर्ष। एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाने वाले किसानों के लिए पहले वर्ष के लिए प्रस्तावित फसल पद्धति के अनुसार उगाई गई फसलों के आधार पर उपरोक्त सीमा तय की जानी है और लागत वृद्धि/वित्त के पैमाने में वृद्धि के लिए सीमा का अतिरिक्त 10 प्रतिशत प्रत्येक क्रमिक वर्ष (दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष) के लिए। यह माना जाता है कि किसान शेष चार वर्षों के लिए भी उसी फसल पैटर्न को अपनाता है। यदि किसान द्वारा अपनाई गई फसल पद्धति को बाद के वर्ष में बदल दिया जाता है, तो सीमा पर फिर से काम किया जा सकता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव :

किसान क्रेडिट कार्ड किसानों की ऋण आवश्यकताओं को उपयुक्त और परेशानी मुक्त तरीके से पूरा करने के लिए एक नए और महत्वपूर्ण ऋण वितरण तंत्र के रूप में उभरा है। किसान क्रेडिट कार्ड भारत सरकार की सबसे नवीन, व्यापक रूप से स्वीकृत योजना में से एक है क्योंकि यह अत्यधिक सराहनीय और भेदभाव रहित बैंकिंग उत्पाद है। अब तक आरआरबी ने 4.05 लाख कार्ड जारी किए हैं और वार्षिक लक्ष्य का 81.2 प्रतिशत हासिल किया है। आरआरबी की तुलना में वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी समितियों का लक्ष्य बहुत कठिन था लेकिन इन बैंकों ने क्रमशः 56.0 प्रतिशत और 46.1 प्रतिशत हासिल किया। वाणिज्यिक बैंकों ने विभिन्न श्रेणियों के किसानों को 9148.4 करोड़ रुपये की मंजूरी देते हुए 35.7 लाख कार्ड जारी किए थे। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के बीच काफी लोकप्रिय क्रेडिट के रूप में स्थापित हो चुका है। यह निश्चित रूप से किसानों को वांछित संस्थागत ऋण तक आसान और समय पर पहुंच बनाने में मदद करेगा। बैंकों

को केसीसी योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना चाहिए ताकि दलालों की भूमिका कम हो सके और किसानों के अधिकतम लाभ के लिए धन का कुशल आवंटन किया जा सके। किसानों के सत्यापित डेटाबेस की व्यवस्था से बैंकों को वास्तविक जरूरतमंदों को ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। बैंकों को उत्तरी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र जैसे होल्डिंग्स के कवरेज के मामले में खराब प्रदर्शन वाले क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सभी राज्यों में वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों की शाखाएँ बहुत अधिक हैं। तो बैंक अधिक क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं और अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन से ऋण के स्रोत की प्राथमिकता में महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन का पता लगता है। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं ने भारत के ग्रामीण ऋण के परिदृश्य को बदल दिया। इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने में यह अध्ययन काफी महत्वपूर्ण होगा। इस योजना द्वारा बैंकों द्वारा अग्रिम ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे किसानों को समय पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित हो पायी है। फसल ऋण की समय पर उपलब्धता से किसानों को अधिक लाभ प्राप्त करने में मदद मिली है और कृषि कार्यों के संचालन में लचीलापन आया है, जिस कारण बेहतर ढण्ग से ऋण का पुनर्भुगतान भी हो रहा है। भारत में कृषि क्षेत्र के सतत् विकास हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना अत्यंत लाभदायक रही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभों के संबंध में बहुत अधिक किसानों में जागरूकता आ गई है। योजना की ऋण वितरण प्रक्रिया को सरलीकरण करने एवं न्युनतम कागजी कार्रवाई की आवश्यकता है। वर्तमान क्रेडिट सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए साथ ही ब्याज दर को कम करना और विशेष रूप से आपदा काल व फसल की विफलता के समय में किस्त भुगतान में लचीलापन लाना चाहिए।

संदर्भ :

1. अंजनीकुमार, सिंह एवं प्रभातकुमार (2007) ''ग्रामीण ऋण स्रोतों की पसंद को प्रभावित करने वाले कारक'' भारतीय कृषि अर्थशास्त्र पत्रिका।
2. बैरिक, बी.बी. (2010) ''किसान क्रेडिट कार्ड योजना – ग्रामीण गरीबी में कमी के लिए एक गतिशील हस्तक्षेप'', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी।
3. भास्कर, आर. (2006) ''किसान क्रेडिट कार्ड की प्रभावशीलता एक अध्ययन''
4. जमुनारानी, एन. (2009) ''किसान क्रेडिट कार्ड योजना के आयाम'' द को–ऑपरेटर।
5. राजमोहन, एस., और सुभा, के. (2014) ''भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना : वित्तीय समावेशन का एक पहलू'' आईजेएसआर –इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च।
6. "किसान क्रेडिट कार्ड – एक अध्ययन," सामयिक पत्र, आर्थिक विश्लेषण और अनुसंधान विभाग, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।
7. उप्पल, आर.के., और जुनेजा, ए. (2012) "भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना : मुद्दे और प्रगति", एशियाई सामाजिक विज्ञान और मानविकी अनुसंधान पत्रिका।